न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2015/00076

रतन लाल आत्मज स्वर्गीय श्री मोती लाल जाति धाकड निवासी ग्राम सीमल्या तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. शांति बाई पत्नी स्वर्गीय रतन लाल जाति धाकड ।
2. चन्द्र प्रकाश आत्मज स्वर्गीय रतन लाल जाति धाकड ।
3. देवी शंकर आत्मज स्वर्गीय रतन लाल जाति धाकड ।
4. जमना लाल आत्मज स्वर्गीय रतन लाल जाति धाकड ।
5. सूर्य प्रकाश आत्मज स्वर्गीय रतन लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम सीमल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।
2. पुलिस थाना सीमलिया जरिये थानाधिकारी, थाना सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. प्रेमबाई पुत्री मोती लाल पत्नी बद्रीलाल जाति धाकड निवीस कैलाशपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 21.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट (मृतक) रतनलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 30 की 1.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 131 की 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 133 की 0.10 हैक्टर,

खसरा नम्बर 507 की 1.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 670 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 673 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 674 रकबा 0.54 हैक्टर कुल 07 किता की 3.65 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी कम 03 के खातेदारी में दर्ज है । वादी के पितामह मुकना जी को तत्कालीन कोटा स्टेट द्वारा पटेल राज नियुक्त कर रखा था तथा मुकना जी के खाते में ग्राम सीमलिया में करीब 360 बीघा भूमि स्थित थी जिस पर मुकना जी खुद काबिज काश्त करते थे । मुकना जी के स्वर्गवास के बाद उनके खाते की भूमि उनके एकमात्र पुत्र पन्ना जी के खाते में दर्ज की गई तथा पन्ना जी के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र पृथ्वीलाल व मोती लाल के खाते में दर्ज की गई । मोती लाल के स्वर्गवास के पश्चात् वादी तथा वादी के भाई धन्ना लाल के खाते में दर्ज की गई तथा वादी एंव धन्ना लाल के मध्य विभाजन हो जाने के कारण दोनों का खाता अलग–अलग किया गया जिसमें उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी कम 03 के खाते में दर्ज की गई । मुकना जी की मृत्यु के बाद पन्ना जी के खाते में कुल 138 बीघा 17 बिस्वा भूमि दर्ज की गई थी किन्तु खसरा नम्बर 530 की 04 बीघा 15 बिस्वा भूमि त्रुटिपूर्ण तरीके से उनके खाते में दर्ज होने से रह गई । वादग्रस्त आराजी का पृथ्वीलाल एवं वादी के पिता मोतीलाल के मध्य विभाजन हो गया उक्त विभाजन के अनुसार अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 717/532 की 19 बीघा भूमि में से 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि पृथ्वीलाल के खाते में तथा 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी के पिता मोती लाल के खाते में दर्ज की गई । सेटलमेंट विभाग ने खसरा नम्बर 528 एवं 531 के नये खसरा नम्बर कायम कर खसरा नम्बर 591 व 592 की भूमि को चारागाह दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है एवं अवैधानिक है । संवत् 2038 में हुए सेटलमेंट के पश्चात् खसरा नम्बर 591 के नये खसरा नम्बर कायम कर उक्त भूमि पर पुनः चारागाह दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । वादी के पिता के खाते में जो खसरा नम्बर 532 की 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी उसे गायब कर दिया गया जबकि उक्त भूमि वादी के पिता के खाते में दर्ज की जानी चाहिए थी । संवत् 2015 में हुए सेटलमेंट में सेटलमेंट के कर्मचारियों ने सम्पूर्ण मिलान क्षेत्रफल एवं नक्शा त्रुटिपूर्ण बना दिया तथा खसरा नम्बर 593 को पुराने खसरा नम्बर 530 व 531 का बनना बताकर उसका रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा दर्ज कर दिया जबकि वास्तव में खसरा नम्बर 593 की भूमि जिस स्थान पर दर्शायी गई है उक्त स्थान पर पुराने खसरा नम्बर 532 की भूमि स्थित थी जो वादी के पिता के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि थी । वादी आज भी उसी स्थान पर काबिज काश्त है । पुराने खसरा नम्बर 532 तथा खसरा नम्बर 531 की 13 बिस्वा भूमि भी मिलाई गई तथा खसरा नम्बर 531 की 13 बिस्वा भूमि भी वादी के दादा के खाते की थी जो वादी के पिता को प्राप्त हुई । वादी की कुल 10 बीघा 03 बिस्वा भूमि है जिस पर वादी काबिज काश्त है किन्तु सेटलमेंट विभाग ने वादी की भूमि को कम करते हुए केवल 08 बीघा 10 बिस्वा दर्ज कर दिया जो 01 बीघा 13 बिस्वा कम है तथा संवत् 2038 में हुए सेटलमेंट के बाद उसका नया खसरा नम्बर 507 रकबा 1.35 हैक्टर दर्ज किया गया है जबकि वादी के खाते में 1.68 हैक्टर भूमि दर्ज की जानी चाहिए थी । इस प्रकार वादी की 0.33 हैक्टर भूमि कम दर्ज की गई है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है । खसरा नम्बर 591 का जो नक्शा बनाया गया है वह भी त्रुटिपूर्ण बना दिया गया । वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की पुराने खसरा नम्बर 532 तथा बाद के नम्बर 593 में दर्शा दिया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । खसरा नम्बर 508 की भूमि प्रतिवादी कम 02 के खाते में दर्ज हो जाने से प्रतिवादी कम 02 उक्त भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि खसरा नम्बर 508 की भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी

के खातेदारी में दर्ज की जावे । उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में दुरूस्ती की जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को हाल खसरा नम्बर 508 की भूमि से बेदखल नहीं करे तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.07.2012 के द्वारा वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2012 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट (मृतक) रतन लाल के वारिसान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 508 की 0.45 हैक्टर भूमि में से केवल मात्र 0.13 हैक्टर भूमि ही वादी अपीलान्ट के खाते में दर्ज करने का निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट ने साक्ष्य से यह पूर्ण रूप से प्रमाणित कर दिया था कि आराजी खसरा नम्बर 508 की सम्पूर्ण 0.45 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि थी जिसे अपीलान्ट की खातेदारी से निकाल दिया जिसे वापस अपीलान्ट के खाते दर्ज किया जाना चाहिए था । संवत् 2013 में सेटलमेंट में खसरा नम्बर 528 व 531 का नया नम्बर 591, खसरा नम्बर 529 का नया नम्बर 592, खसरा नम्बर 530 व 531 का नया नम्बर 593 तथा खसरा नम्बर 530, 531 व 532 का नया खसरा नम्बर 594 कायम किये गये तथा खसरा नम्बर 591 व 592 की भूमि को चारागाह दर्ज कर दिया गया तो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । संवत् 2038 में हुए सेटलमेंट के पश्चात् खसरा नम्बर 591 के नये नम्बर 508 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 509 रकबा 0.72 हैक्टर तथा 592 का नया नम्बर 510 रकबा 0.90 हैक्टर कायम किये गये और उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को पुनः चारागाह दर्ज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । खसरा नम्बर 508 की भूमि जो वास्तव में अपीलान्ट के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है को रेस्पोडेन्ट क्रम 02 के खाते में दर्ज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट अत्यधिक वृद्ध व्यक्ति है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व ही अपीलान्ट को आंखों से गंभीर बीमारी हो गयी तथा अपनी ऑखों का इलाज करवाने के लिए कई डॉक्टरों एवं अस्पतालों के चक्कर काटता रहा किन्तु अपीलान्ट की ऑखों की रोशनी वापस नहीं आई और अपीलान्ट पूर्ण रूप से अन्धा हो गया । इस कारण अपीलान्ट का सम्पूर्ण ध्यान केवलमात्र ऑखों के ईलाज पर केन्द्रित हो गया । इसलिए अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09.06.2015 को हुई और उनके द्वारा नकल का आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 15.06.2015 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया है जो त्रुटिपूर्ण है । दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना किये बिना निर्णय पारित किया गया है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 508 रकबा 0.45 हैक्टर में से केवल मात्र 0.13 हैक्टर के लिए दावा डिक्री किया है । खसरा नम्बर 508 की सम्पूर्ण आराजी अपीलान्ट के खाते की भूमि है जिसे सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से चारागाह दर्ज किया था । अपीलान्ट ने सेटलमेंट से पूर्व एवं सेटलमेंट के पश्चात् के नक्शे, जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल समस्त दस्तावेजात पेश किये हैं । सेटलमेंट को वादी के खाते की आराजी को चारागाह दर्ज करने का अधिकार नहीं है । अपीलान्ट के पितामह मुकना जी के खाते में ग्राम सीमलिया में 360 बीघा भूमि स्थित थी । उनके स्वर्गवास के पश्चात् यह आराजी उनके पुत्र पन्ना के खाते में दर्ज की गई और पन्ना की मृत्यु के बाद पृथ्वीलाल एवं मोतीलाल के खाते में दर्ज की गई । मोती लाल की मृत्यु के पश्चात् यह आराजी अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के भाई धन्ना लाल के खाते में दर्ज की गई । अपीलान्ट एवं धन्ना लाल के मध्य विभाजन होने के बाद खाता पृथक–पृथक हो गया । साबिक खसरा नम्बर 530 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा त्रुटिपूर्ण रूप से मुकना जी के खाते में दर्ज होने से रह गयी । पृथ्वी लाल एवं अपीलान्ट के पिता के मध्य जब विभाजन हुआ तो खसरा नम्बर 717/532 की 19 बीघा भूमि में से 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि पृथ्वीलाल के खाते में और 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पिता मोती लाल के खाते में दर्ज की गई । संवत् 2013 के सेटलमेंट में आराजी खसरा नम्बर 528 और 531 का नया नम्बर 591 कायम किया गया । आराजी खसरा नम्बर 529 का 592 खसरा नम्बर 530 और 531 का 593 खसरा नम्बर 530, 531 एवं 532 का नया नम्बर 594 कायम किया गया और खसरा नम्बर 591 एवं 592 की भूमि को चारागाह दर्ज किया गया जो त्रुटिपूर्ण है । संवत् 2038 में जब सेटलमेंट हुआ तब खसरा नम्बर 591 के नये नम्बर 508 रकबा 0.45 हैक्टर कायम किये गये । आराजी खसरा नम्बर 509 रकबा 0.72 हैक्टर कायम किये गये । आराजी खरा नम्बर 592 का नया नम्बर 510 रकबा 0.90 हैक्टर कायम किया गया और उक्त खसरा नम्बर की भूमि को पुनः चारागाह दर्ज किया गया जो गलत है । संवत् 2013 के सेटलमेंट में साबिक खसरा नम्बर 530, 531, 532 को मिलाकर नया खसरा नम्बर 594 कायम किया गया और इसका रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा कायम कर पृथ्वीलाल के खाते में दर्ज किया गया और अपीलान्ट के खाते में जो 532 की 09 बीघा 10 बिस्वा आराजी थी उसको गायब कर दिया गया । आराजी खसरा नम्बर 532 की 19 बीघा का खेत सडक वाला था जिसमं 09 बीघा 10 बिस्वा मोती लाल का था । वास्तव में खसरा नम्बर 593 की भूमि जिस स्थान पर दर्शायी गई है उस स्थान पर साबिक खसरा नम्बर 532 की भूमि थी । आराजी खसरा नम्बर 593 वास्तव में खसरा नम्बर 532 से बना है जिस पर अपीलान्ट का कब्जा है । आराजी खसरा नम्बर 593 में पुराने खसरा नम्बर 532 और 531 में 13 बिस्वा आराजी मिलाई गई है । इस प्रकार विवादित स्थल पर कुल 10 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है जिस पर अपीलान्ट काबिज है परन्तु सेटलमेंट विभाग ने आराजी को कम करते हुए 08 बीघा 10 बिस्वा दर्ज किया गया और 01 बीघा 13 बिस्वा आराजी कम दर्ज की गई है । संवत् 2038 के सेटलमेंट में इसका नया नम्बर 507 रकबा 1.35 हैक्टर कायम किया गया है जबकि अपीलान्ट के खाते में 1.68 हैक्टर आराजी दर्ज की जानी चाहिए 0.33 हैकटर आराजी कम दर्ज की गई है । साबिक खसरा नम्बर 528 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा का नया नम्बर 591 बना है जिसमें 531 की आराजी को शामिल कर दिया गया है । आराजी खसरा नम्बर 531 की आराजी कभी सिवायचक नहीं थी । खसरा नम्बर 591 का रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा दर्ज किया गया है जबकि खसरा नम्बर 528 का रकबा मात्र 01 बीघा 08 बिस्वा था । इस प्रकार खसरा नम्बर 591 का रकबा अनुचित

रूप से बढा दिया गया है । नक्शा भी त्रुटिपूर्ण बनाया गया है । हाल खसरा नम्बर 508 की सम्पूर्ण आराजी रकबा 0.45 हैक्टर अपीलान्ट के खाते में दर्ज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी चारागाह है जिस पर खातेदारी नहीं दी जा सकती । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2059–62 प्रदर्श– 1 जिसके अनुसार धन्ना लाल और रतन लाल के खाते में कुल 14 किता की 8.82 हैक्टर आराजी दर्ज है और उसमें बंटवारे का नोट अंकित है । प्रदर्श– 2 मिलान क्षेत्रफल संवत् 2043–62 की प्रमाणित प्रति है, प्रदर्श– 3 मिलान क्षेत्रफल संवत् 2043–62 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श– 4 मिलान क्षेत्रफल संवत् 2043–68 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श– 5 मिलान क्षेत्रफल संवत् 2013–32 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श– 6 मिलान क्षेत्रफल संवत् 2013–32 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श– 7 मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति संलग्न हैं । प्रदर्श– 8 मोती लाल बेटा पन्ना लाल के खाते की नकल जमाबन्दी संवत् 2008–10, प्रदर्श– 09 पृथ्वी बेवा पन्ना के खाते की नकल जमाबन्दी संवत् 2007–10 है, प्रदर्श– 10 पन्ना बेटा मुनका के खाते की नकल जमाबन्दी संवत् 1983–86, प्रदर्श– 11 संवत् 1964 की नकल जमाबन्दी है, प्रदर्श– 12 खसरा तरमीम की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श– 13 भू–प्रबन्ध विभाग की नकल जमाबन्दी संवत् 2013–32, प्रदर्श– 14 नकल जमाबन्दी संवत् 1983–86, प्रदर्श– 15 नकल जमाबन्दी संवत् 2013–32, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 16 एवं 17, नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति प्रदर्श– 18,नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 प्रदर्श– 19 संलग्न है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 508 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि पुलिस थाना सीमलिया के खाते में दर्ज है । प्रदर्श– 20, 21 मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियॉ हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 प्रदर्श– 22 जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के खाते में कुल 07 किता की 3.65 हैक्टर भूमि दर्ज है जिसमें रतन लाल पुत्र मोती लाल हिस्सा 3/4, प्रेमबाई पुत्री मोती लाल हिस्सा 1/4 के संयुक्त खाते में दर्ज है ।

12. गवाह के रूप में बयान वादी रतन लाल पीडब्ल्यू–1 ने शपथ पत्र पेश किया है परन्तु रतन लाल ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है ।

13. पत्रावली की आदेशिका दिनांक 04.01.2012 के अनुसार सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया है और दिनांक 30.08.2012 की आदेशिका के अनुसार तनकीयात कायम की गई हैं । गवाह के रूप में रतन लाल का शपथ पत्र पूर्व में ही पेश किया जाना अंकित किया गया है परन्तु रतनलाल ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है उससे

जिरह का अवसर प्रतिवादी को नहीं दिया गया है । न तो वादी की साक्ष्य बन्द की गई और न ही प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया गया है और पत्रावली को सीधे बहस में रखा गया है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार गवाह को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद करना अनिवार्य होता है और उससे प्रतिवादी को जिरह का भी अवसर प्रदान कर प्रतिवादी को भी साक्ष्य का अवसर दिया जाना अनिवार्य होता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वादी की साक्ष्य को विधिक प्रावधानों के अनुसार पूर्ण कर प्रतिवादी को भी साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के अन्दर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 21.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.9.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा